न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 14/2020

प्रार्थी :-

1. श्रीमति खेतूडी पुत्री घीसाराम
2. पुखराज पुत्र घीसाराम जातियान जाट निवासीगण बिंजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. श्रीमति जसी पत्नी लालूराम
2. दौलाराम पुत्र जावतराम
3. धर्माराम पुत्र लालूराम
4. नाथूराम पुत्र जावतराम
5. मांगीलाल पुत्र लालूराम
6. लक्ष्मणराम पुत्र जावतराम
7. सूजाराम पुत्र जावतराम जातियान जाट निवासीगण बिंजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. छैलाराम पुत्र ओगडराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का बास बिलाडा तहसील बिलाडा
9. कानाराम पुत्र नाथूराम
10. गणपतलाल पुत्र नाथूराम
11. गीता पत्नी नाथूराम
12. ढगलाई पत्नी दुर्गाराम
13. दिलीप पुत्र नाथूराम
14. बुधाराम पुत्र पाबूराम
15. भैराराम पुत्र दुर्गाराम
16. महेन्द्र पुत्र दुर्गाराम
17. संतोष पत्नी बुधाराम जातियान जाट निवासीगण बिंजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
18. तुलछाराम पुत्र छैलाराम
19. पनाराम पुत्र छैलाराम
20. रमेशचन्द्र पुत्र छैलाराम जातियान कुम्हार निवासीगण कुम्हारों का बास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
21. सुगनाई पत्नी मिश्रीलाल जाति जाट निवासी बिजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
22. गिरधारीलाल पुत्र मिश्रीलाल
23. नेमाराम पुत्र मिश्रीलाल
24. बालुराम पुत्र मिश्रीलाल जातियान जाट निवासीगण बिंजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
25. चिमुदेवी पत्नी हापूराम
26. छोटाराम पुत्र हापूराम
27. प्रेमाराम पुत्र लालूराम के कायम मुकामः-
    - 27/1 ओमप्रकाश पुत्र प्रेमाराम
    - 27/2 बीरमराम पुत्र प्रेमाराम
    - 27/3 दुर्गा पुत्री प्रेमाराम
    - 27/4 सोहनी पुत्री प्रेमाराम
28. पारसराम पुत्र लालूराम
29. मंगाराम पुत्र हापूराम
30. रतनलाल पुत्र लालूराम जातियान जाट निवासीगण बिंजवाडिया तसहील बिलाडा जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 30 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 31 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 3/3/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर भूमि के उतरी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की भूमि खसरा नम्बर 407 रकबा 2.9043 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर के दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 623 रकबा 0.6634 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर के उत्तरी-पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 9 से 17 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 408 रकबा 1.5533 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 18 से 21 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 1.0841 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 21 से 24 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 621 रकबा 0.7524 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 25 से 30 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 624 रकबा 1.8283 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण अभी 10 दिन पहले अपनी खातेदारी, कब्जासुदा की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर के चारों ओर काटो की तारबन्दी करने हेतु गये तो अप्रार्थी संख्या 1 से 30 ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में तारबन्दी करने से रोक दिया एवं नाजायज तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी दिशा की ओर बनी माठ को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 30 को ऐसी हरकत करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 से 30 प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये। इस घटना के बारे में प्रार्थीगण ने गाव वालो को बताया जिस पर गांव के मौजीज लोगो ने अप्रार्थी संख्या 1 से 30 को बुलाया और समझाया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 30 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि उतरी, दक्षिणी, पश्चिमी दिशा की ओर बनी माठ का नाप चौप नहीं होने देंगे। अप्रार्थी संख्या 1 से 30 पैसे वाले है तथा झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है तथा उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर के उतरी, दक्षिणी, पश्चिमी दिशा की ओर बनी माठ को अप्रार्थी संख्या 1 से 30 द्वारा जबरन खुर्द बुर्द कर अपनी भूमि खसरा नम्बर 407, 623, 408, 409, 621, 624 में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मिलाया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 30 को प्रार्थीगण की बिना इजाजत के उनकी खातेदारी भूमि को खुर्द बुर्द व नष्ट करने का कोई अधिकार नही है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजवाड़िया तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407 रकबा 2.9043 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.6634 हैक्टेयर सासरा नम्बर 408 रकबा 1.5533 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 1.0841 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.7524 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 624 रकबा 1.8283 हैक्टेयर का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमायें। सीमाकन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश फरमायें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 30 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 से 30 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि प्रार्थना पत्र के अनुतोष में खसरा नंबर 622 के साथ अप्रार्थी सं. 1 से 7 की भूमि खसरा नंबर 407 तथा अप्रार्थी सं. 8 की भूमि खसरा नंबर 623 तथा अप्रार्थी सं. 9 से 17 की भूमि खसरा नंबर 408 की भूमि तथा अप्रार्थी सं. 18 से 21 की भूमि खसरा नंबर 409 तथा अप्रार्थी सं. 21 से 24 की भूमि 621 का नाप सीमाकंन एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी सं. 31 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 ग्राम बींजवाडिया के खाता सं. 61 अनुसार खसरा नंबर 622 रकबा 1.2459 हैक्टयर खेतुडी पत्नी घीसाराम 1/2 हि. जाति जाट सा.देह पुखराज पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। राजस्व रिकर्ड(जमाबंदी अनुसार) दो खसरे 622 मूल व 622/1 दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शा लट्ठा में खसरा नंबर 622 ही दर्ज है। 622/1 की तरमीम दर्ज नहीं है। ऑनलाईन (भूनक्शा) में दोनों नम्बरों की अलग-अलग तरमीम दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 622 रकबा 1.2459 हैक्टयर का सीमांकन पूर्व में नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाकर एवं श्रीमान के आदेशानुसार अपने खेत का सीमाकंन करवाने का अधिकारी है। अन्य पडौसी खसरान् का सीमाज्ञान का अधिकारी नहीं है एवं स्वयं की खातेदारी का सीमाज्ञान करवाने के बाद ही कब्जे संबंधी दखलंदाजी बाबत माननीय न्यायालय से पत्थरगढी हेतु अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में

वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी सं. 31 द्वारा रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीगण नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाकर सीमांकन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खसरे के साथ अप्रार्थीगण के खसरान का भी सीमांकन करवाना चाहता है जबकि राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार केवल रेकर्डेड खातेदार ही अपने खसरा का सीमांकन व पत्थरगढी करवा सकता है। प्रार्थीगण केवल खसरा नंबर 622 के रेकर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण के खसरा नंबर 622 का सीमांकन व पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बींजवाडिया तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 622 रकबा 1.2459 हैक्टयर का सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 3/3/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा